चुकाने में असमर्थ रहते हैं। इस तरह की स्थितियों में कम्पनी दो उपाय कर सकती है–(अ) वह दोषी अंशधारी पर न चुकाई हुई मांग की प्राप्ति के लिए मुकद्दमा चला सकती है, या (आ) वह अंशों का हरण कर सकती है।

अंशों के हरण से यह तात्पर्य है कि जो अंशधारी अंशों की मांगी हुई रकम को नहीं चुकाता है, उसका नाम सदस्य-रजिस्टर से काट दिया जाता है और उसने जो रकम अपने अंशों पर दे रखी है वह रकम जब्त कर ली जाती है। तब हरित अंश सदस्य-रजिस्टर में **'हरित अंश खाते'** (Forfeited Share Accounts) में प्रविष्टि कर दी जाती है। हरित अंशों का आबंटन रद्द नहीं किया जाता है और यही कारण है कि हरित अंश निर्गमित पूँजी का ही एक भाग है न कि प्रार्थित पूँजी का।

प्रथम उपाय ठीक नहीं समझा जाता, क्योंकि प्राय: कम्पनियाँ मुकद्दमेबाजी में पड़ना पसन्द नहीं करतीं। दूसरा उपाय ही अधिकतर काम में लिया जाता है और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक अधिकार अन्तर्नियमों में दिए रहते हैं।

अंशों की न्यायपूर्ण जब्ती करने के लिए यह आवश्यक है कि अन्तर्नियमों में दिए हुए नियमों का अच्छी तरह से पालन किया जाए अन्यथा वह सताए हुए अंशधारी के आवेदन पर अदालत द्वारा रद्द की जा सकती है। हरण करने की व्यावहारिक विधि यह है कि पहले मांग न चुकाने वाले अंशधारी को कम्पनी द्वारा सूचना देनी चाहिए कि यदि एक निर्दिष्ट तिथि तक (14 दिन के नोटिस पर) बकाया मांगों की राशि नहीं दे देता तो उसके अंश जब्त कर लिए जाएंगे और उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। यदि इस सूचना पर भी रुपया प्राप्त न हो, तो संचालक उस अंशधारी के अंशों को जब्त कर लेते हैं।

अंशों के हरण पर लेखा करने की विधि
(Accounting entries on Forfeiture of Shares)

अंशों के हरण (जब्ती) का लेखा, जारी किये गये अंशों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जारी किये गये अंशों की प्रकृति निम्नलिखित तीन में से कोई भी हो सकती है–

1. सममूल्य पर (At Par) निर्गमित अंश (Shares issued at par)
2. प्रीमियम पर (At Premium) निर्गमित अंश (Shares issued at premium)
3. कटौती (छूट) पर (At Discount) निर्गमित अंश (Shares issued at Discount)

उपर्युक्त तीनों प्रकार से जारी किये गये अंशों का हरण करते समय लेखा निम्न प्रकार से होते हैं–

(*i*) सममूल्य (At par) पर जारी अंशों का हरण करते समय :

Share Capital A/c		Dr.	(अब तक माँगी गई कुल राशि से)
	To Shares Allotment A/c		(आबन्टन पर बकाया राशि से)
	To Share Call A/c		(याचना पर बकाया राशि से)
	To Share Forfeiture A/c		(अब तक प्राप्त राशि से)
(For the forfeiture of shares issued at par)			

उदाहरण के लिए अतुल के पास किसी कम्पनी के 10 रु० वाले 1,000 अंश है। इन पर वह आवेदन पर 2 रु० और आबंटन पर 3 रु० दे चुका है, किन्तु प्रथम याचना के 3 रु० तथा द्वितीय याचना के 2 रु० प्रति अंश नहीं दे पाया। संचालक मण्डल के प्रस्ताव के कारण अतुल के अंशों का हरण कर लिया जाता है। ऐसी दशा में कम्पनी की पुस्तकों में अंशों के हरण की निम्न प्रविष्टि होगी :

		Rs.	Rs.
Share Capital A/c	(1,000 × 10)	Dr. 10,000	
To Share First Call A/c	(1,000 × 3)		3,000
To Share Second A/c	(1,000 × 2)		2,000
To Share Forfeiture A/c	(1,000 × 5)		5,000

(For 1,000 shares of Atul forfeited due to non- payment of first and Second Calls money)

(*ii*) **प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण करते समय :**

(A) यदि हरण किए जाने वाले अंशों पर प्रीमियम प्राप्त हो गया है तो अपहरण करते समय प्रीमियम की कोई प्रविष्टि नहीं होगी। उपर्युक्त प्रकार से ही प्रविष्टि की जाएगी।

(B) यदि हरण किए जाने वाले अंशों पर प्रीमियम की राशि भी बकाया हो :

Share Capital A/c	Dr.	(अब तक मांगी गई कुल राशि से)

Scanned with CamScanner

Securities Premium A/c	Dr.	(माँगी गई प्रीमियम की राशि से)
To Share Allotment A/c		(आवंटन पर बकाया राशि से)
To Share Call A/c		(याचना पर बकाया राशि से)
To Share Forfeiture A/c		(अब तक प्राप्त राशि से)

(For the forfeiture of shares issued at premium)

उदाहरण : X कम्पनी ने 10 रु० प्रति अंश वाले 200 अंश अजय को 2 रु० प्रीमियम पर निर्गमित किए जिन पर वह 3 रु० आवेदन पर दे चुका है। किन्तु आवंटन पर 5 रु० (प्रीमियम सहित), प्रथम याचना पर 2 रु० तथा अन्तिम याचना पर 2 रु० नहीं दे सका। अतः उसके अंशों का हरण कर लिया गया। हरण की प्रविष्टि निम्न प्रकार होगी :

		Rs.	Rs.
Share Capital A/c (200 × 10)	Dr.	2,000	
Securities Premium A/c (200 × 2)	Dr.	400	
To Share Allotment A/c (200 × 5)			1,000
To Share First Call A/c (200 × 2)			400
To Share Final Call A/c (200 × 2)			400
To Share Forfeiture A/c (200 × 3)			600

(For 200 shares of Ajay forfeited due to non-payment of allotment and call money)

उपरोक्त उदाहरण में ही यदि अजय से आवंटन की राशि भी प्राप्त हो जाती तो प्रीमियम की राशि भी आवंटन की राशि में सम्मिलित होने के कारण प्राप्त हो जाती। ऐसी दशा में दोनों याचनाओं की राशि प्राप्त न होने के कारण यदि उसके अंशों का हरण कर लिया जाता तो इसकी प्रविष्टि निम्न प्रकार होगी –

		Rs.	Rs.
Share Capital A/c (200 × 10)	Dr.	2,000	
To Share First Call A/c (200 × 2)			400
To Share Final Call A/c (200 × 2)			400
To Share Forfeiture A/c (200 × 6 excluding amount of premium)			1,200

(For 200 shares of Ajay forfeited due to non-payment of first and final calls)

(iii) कटौती पर निर्गमित अंशों का हरण करते समय :

यदि हरण किए गए अंशों को पहले कटौती पर जारी किया गया था तो हरण की प्रविष्टि करते समय अंश कटौती खाते को क्रेडिट किया जाएगा :

Share Capital A/c	Dr.	
To Share Discount A/c		(कटौती की राशि)
To Share Allotment A/c		(आवन्टन पर बकाया राशि से)
To Share Call A/c		(याचना पर बकाया राशि से)
To Share Forfeiture A/c		(अब तक प्राप्त राशि से)
(For Shares forfeited)		

उदाहरण के लिए : कम्पनी ने अंकुर को आवंटित किए हुए 100 अंश जब्त किये। प्रत्येक अंश 100 रु० का था और इन्हें 10% कटौती पर निर्गमित किया गया था। इन अंशों पर 2 रु० आवेदन पर और 3 रु० आवंटन पर प्राप्त हो चुके हैं, परन्तु अंकित ने प्रथम याचना के 2 रु० नहीं दिये। इस स्थिति में हरण की निम्न प्रविष्टि होगी–

		Rs.	Rs.
Share Capital A/c (100 × 8)	Dr.	800	
To Share Discount A/c (100 × 1)			100
To Share First Call A/c (100 × 2)			200
To Share Forfeiture A/c (100 × 5)			500

(For the forfeiture of 100 shares issued at a discount)

Scanned with CamScanner